



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)

**U. P. POWER CORPORATION
LIMITED**

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या 1892-अप्र०-07 / पाकालि / 2012-19अप्र०-07 / 11

दिनांक: 20 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अंवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम०) (सामान्य वर्ग) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम०) (सामान्य वर्ग) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर /राविप-01-28-एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम पिता का नाम/ड्रेड/जन्मतिथि /गृह जनपद/ वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नति तैनाती/आवंटन इकाई	पश्चात् अभिज्ञान सं०
1.	श्री रमेश कुमार यादव, पुत्र श्री हरी लाल यादव/विद्युत/02.02.75/वाराणसी/8123	विद्युत 00-प्रथम, चन्दौली	डिस्काम वाराणसी	2012194

उक्त अंवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (क) अंवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 (ख) अंवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
 1. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र० पाठ्यक्रमिलि० में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात् एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या :1892-अप्र०-07 / पाकालि / 2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अंवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु अवमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि:-

- (क) अंवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 (ख) अंवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रकरण न चल रहा हो।
 1. निदेशक (काठप्र०एवं प्रशासा०)/निदेशक (वितरण)/निदेशक(वित्त), उ0प्र०पाठ्यक्रमिलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।